बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक–05/स्था0 (आरोप)–01/2016.....   /परि0   पटना, दिनांक..

श्री विनोद कुमार, मोटर यान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) अतिरिक्त प्रभार–मोटर यान निरीक्षक, अरवल को निगरानी टीम द्वारा अरवल में गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या–1479 दिनांक– 17.03.2016 द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि 13.03.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

दिनांक 16.04.2016 को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद श्री कुमार द्वारा दिनांक–20.05.2016 को परिवहन विभाग में योगदान देने की तिथि से उन्हें निलंबन–मुक्त किया गया था।

2. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाये जाने के कारण उन्हें बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(ग) के तहत आदेश सं0–662 दिनांक–13.02.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, पटना (प्रशाखा–05) निर्धारित किया गया है।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना में (मुख्यालय) मोटरयान निरीक्षक का पद रिक्त नहीं रहने के कारण श्री कुमार के निर्वाह भत्ते का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पटना में मोटरयान निरीक्षक के स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध किया जायेगा।

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार,पटना।

निबंधित/इमेल   ज्ञापांक–05/स्था0 (आरोप)–01/2016.....   /परि0 1572 पटना, दिनांक.. 27/3/2017

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)/अरवल/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/भोजपुर (आरा)/अरवल तथा श्री विनोद कुमार, निलंबित मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार,पटना

252 | F:/shailendra/Letter